

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्री लोभूलात्र बैरागी

बनाम

श्री मन्सू लाल बैरागी

क्रमांक ४४, ४९, ९२क 188 RT Act नं. 68 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकील वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क 188

विरुद्ध प्रतिवादिगण पेश किया गया। वाद पत्र बाद जॉच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

को पेश हो। को Regd. AD से

Summun / Notice जारी है। पत्रावली व फर्द
दिनांक तामील हेतु 02/01/23 को पेश है।

02/01/22

1123 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के साथ एक
पत्र अन्तर्गत धारा 812 LR Act
पेश किया गया था। जिसने वकील
को वकील वादी द्वारा प्रकरण आवश्यक
पुस्तक को होने से अस्थायी विवेकाज्ञा
हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु
आज्ञा दिनांक को न तो वादी




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मध्य इनिशियल जज

न ही वकील वादी उपस्थित
अथवा न ही पूर्व आदेशिका अनुसार
Summons/ Notice जन्मि रज्जुद.
AD द्वारा पुस्तुत किये जाये।

अतः यह प्रतीत होता है
कि पत्रावली (प्रकरण सिर्फ अंतर्गत
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने
हेतु ही लाया गया था।

अतः पत्रावली अपत्र दाखिल
अपत्र पैरवी के खादिल की जात
नम्बर से कम ही व दफतर दाखिल
है।


02/01/23

दालत

मुकदमा

तारीख
हुक्म